प्रेषक,

निदेशक मत्स्य,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सेवा में,

सहायक निदेशक मत्स्य,
मथुरा एवं अलीगढ।

पत्रांकः– /नि0शा0/रा0कृ0वि0यो0/ दिनांक– 21 अक्टूबर,2020

विषयः– राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में निजी भूमि पर तालाब निर्माण की परियोजना **New pond construction with shrimp culture In Agra and Aligarh Division** में लाभार्थी चयन की कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मत्स्य निदेशालय पत्रांक 4387/नि0शा0/रा0कृ0वि0यो0/दिनांक 08.09. 2020 के द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम उप निदेशक मत्स्य,आगरा/अलीगढ मण्डल के पत्र सं 697/रा0कृ0वि0यो0/दिनांक 31.08.2020(पताका क) के द्वारा मथुरा एवं अलीगढ हेतु लक्ष्यों का निर्धारण निम्नानुसार करते हुए बजट का आवंटन कराने का अनुरोध किया गया हैः–

कमाक	जनपद	लक्ष्य		
		सामान्य	अनुसूचित जाति	योग
1	2	3	4	5
1	मथुरा	26.50	3.00	29.50
2	अलीगढ	0.50	–	0.50
	योग	27.00	3.00	30.00

ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय कृषि विकास योजनान्तर्गत वर्ष 2020–21 में **New pond construction with shrimp culture In Agra and Aligarh Division** में कुल 30.00हे0 के तालाब निर्माण का लक्ष्य प्रस्तावित है,जिसमें 27.00हे0 सामान्य तथा 3.00हे0अनुसूचित जाति के लाभार्थियों को अच्छादित कराया जाना है। सामान्य,अन्य पिछडा वर्ग एवं महिला श्रेणी के लाभार्थी को 40 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति के लाभार्थी को 60 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य होगा। परियोजना धनराशि रू0 10.00 लाख/हेक्टेयर (तालाब निर्माण–रू0 7.00लाख +प्रथम वर्ष उत्पादन निवेश–रू0 3.00लाख) निर्धारित है।

योजनानतर्गत धनराशि माह अक्टूबर,2020 के अन्तिम सप्ताह में या नवम्बर के प्रथम सप्ताह में प्राप्त होना सम्भावित है,जिस हेतु लाभार्थी चयन की कार्यवाही तत्काल कराया जाना आवश्यक होगा। लाभार्थी चयन में निम्न विन्दुओं को दृष्टिगत रखा जाना आवश्यक होगाः–

1– लाभार्थी चयन हेतु विज्ञापन स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित कराकर विभागीय पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्राप्त किये जायें।

2–जनपद मथुरा एवं अलीगढ में लक्ष्य के अनुसार लाभार्थियों के आवेदन प्राप्त कर चयन की कार्यवाही की जाये।

3– लाभार्थी के चयन में प्रथम आवत प्रथम पावत के सिद्धांत को अपनाते हुए कार्यवाही की जाय। लक्ष्य के सापेक्ष तथा उपलब्ध बजट सीमा तक ही लाभार्थियों को आच्छादित किया जा सकेगा। चयन कर तत्काल लाभार्थियो का उनके चयनित होने पर सूचित करना सुनिश्चित करें,तथा कुल चयनित लाभार्थियों में प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत के अनुसार 50 प्रतिशत लााभार्थियों से कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। शासन से अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष प्रथम चरण में सामान्य वर्ग के लाभार्थियो को आच्छादित किया जायेगा।

4–योजना के अन्तर्गत लघु, मध्यम व बड़े काश्तकार जिनके पास निजी भूमि उपलब्ध हो तथा भूमि अनउपजाऊ एंव जलप्लावन के कारण कृषि कार्य वाधित रहता हो,ऐसे क्षेत्रों को वरीयता दी जाय।

5–लाभार्थी से 100 रू0 के स्टाम्प पेपर पर कार्य प्रारम्भ के समय शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय।

6–विभाग के समस्त योजनाओं के प्रार्थनापत्र विभागीय पोर्टल से प्राप्त कर चयन के संबंध में मत्स्य निदेशालय पत्रांक 3787/नि0शा0/2020–21 दिनांक 30.06.2020 द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त विन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए लाभार्थी चयन की कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

भवदीय,

/

(एस0के0सिंह)

निदेशक मत्स्य,उ0प्र0,लखनऊ

पत्रांक:– 4752 /नि0शा0/रा0कृ0वि0यो0/ उक्त दिनांक।

प्रतिलिपि श्री अंशुमान सिंह, वेब आफिसर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि संलग्न सार्वजनिक सूचना विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

प्रतिलिपि उप निदेशक आगरा एवं अलीगढ़ मण्डल को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने मण्डल के जनपद मथुरा एवं अलीगढ़ में उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करायें।

(एस0के0सिंह)

निदेशक मत्स्य,उ0प्र0,लखनऊ।